न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 01/2023

1. योगेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरदेवाराम पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोडेन्ट

2. सुरजीत पुत्र जुगलाल जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. संदीप पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. राजाराम पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. तारावती पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. रामेती पत्नी शोभारमा पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. विनोद पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. सुरेश पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. विजय लक्ष्मी पत्नी राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. अभिमन्यू पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. नंदकिशोर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. महानसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. सरोज पत्नी हुक्मसिंह जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. धर्मवीर पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. अरविन्द कुमार पुत्र हुकमसिंह जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

19.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1

श्री भरतसिंह बैनिवाला अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—2, 3

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—5 ता 15

निर्णय दिनांकः— 19/10/2023

अपीलांट योगेन्द्र सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गंगासिंहपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ द्व तहसीलदार भादरा द्वारा दिनांक 11.10.77 को नामान्तरण संख्या 7 व 19 को तस्दीक किया गया, को निरस्त करने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप तथ्य निम्न प्रकार—

1. अपील में दर्ज विवादित भूमि ढ़ाणी स्वामीयान के खसरा नं. 31 की 2.7320 है0 तथा रोही मौजा गंगासिंहपुरा बारानी के मु0 नं0 75 के किला नं. 17, 18, 21 ता 24 की 1. 5180 है0 व मु0 नं0 93 के किला नं. 15 की 0.253 है0, मु0 नं0 94 के किला नं. 10—11 की 0.506 है0 कुल तादादी 2.2770 है0 भूमि रामजीलाल पुत्र बीरबलराम की खातेदारी भूमि थी। रामजीलाल खातेदार लावल्द फौत हो गया इसलिए इनके नजदीकी व जायज वारिस रामजीलाल के भाई जुगलाल, किशनलाल, सुरजाराम तथा दाताराम हुए जिनका रामजीलाल की भूमि में ब0हि0ब0 1/4 — 1/4 हिस्सा के खातेदार हुए तथा खातेदार जुगलाल फौत हो चुका है। इसके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 हुए तथा किशनलाल के वारिस मानसिंह फौत हो चुका है जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 है तथा शोभाराम पुत्र किशनलाल फौत हो चुका है। इनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 8 है तथा राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनलाल फौत हो चुका है इनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 10 है तथा सुरजाराम का वारिस हुकमसिंह फौत हो चुका है जिनके वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 13 ता 15 तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 11, 12 है। दाताराम पुत्र बीरबलराम का वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है।
2. रामजीलाल की मृत्यु से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने आप को हरदेवाराम का पुत्र बताकर समस्त भूमि अपने अकेले के नाम करवा ली जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के हितों के खिलाफ है। रामजीलाल लावल्द फौत हुआ था। उसके कोई सन्तान नहीं थी। हरदेवा राम के स्कूल रिकार्ड तथा ग्राम पंचायत भांगवा के द्वारा जारी कुर्सीनामा में यह स्पष्ट है कि हरदेवाराम, जुगलाल का पुत्र है तथा रामजीलाल के कोई संतान नहीं है, फिर भी हरदेवाराम ने राजस्व अधिकारियों व

19.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पटवारी हल्का से मिलीभगत करके अपने आप को रामजीलाल का पुत्र बताकर समस्त भूमि अपने नाम करवा ली, जो निम्न आधारों पर निरस्त योग्य है–

(क) यह कि मातहत अदालत तहसीलदार राजस्व भादरा ने विधि विरूद्ध तरीके से बिना दस्तावेजों की जांच पड़ताल के मनमाने तरीके से रामजीलाल की समस्त भूमि हरदेवाराम के नाम दर्ज करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है।

(ख) यह कि मातहत अदालत तहसीलदार भादरा का यह आदेश बेबुनियाद मनमाना व स्वैच्छाचारी पूर्ण है तथा निरस्त योग्य हैं।

(ग) यह कि मातहत अदालत तहसीलदार भादरा ने ग्राम पंचायत भांगवा के द्वारा जारी कुर्सीनाम की जांच पड़ताल नहीं की तथा ना ही किसी अन्य वारिस को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा बिना किसी ठोस सबूत व दस्तावेज के मनमाने तरीके से रामजीलाल का नाम कलमजन करके बहुत बड़ी कानूनी भूल की है।

(घ) यह कि पहले से ही इसकी भूमि जो बीरबलराम से प्राप्त है जिसमें हरदेवाराम पुत्र जुगलाल नाम दर्ज है फिर भी तहसीलदार भादरा ने अवैध तरीके से उक्त भूमि का नामान्तरण हरदेवाराम के नाम करके कानूनी भूल की है।

(ङ) यह कि उक्त भूमि में नामान्तरण खोलने से पहले तहसीलदार भादरा को कुर्सीनामा ग्राम पंचायत से लेना चाहिए था तथा गांव के मौतबिरान गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाने चाहिये थे तथा रामजीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा भी मंगवाकर जांच पड़ताल करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी लेकिन ऐसा नहीं करके फर्जी तौर से बिना किसी दस्तावेज के उक्त नामान्तरण दर्ज किया है, जो निरस्त योग्य है।

(च) यह कि उक्त अपीलकृत आदेश दिनांक 11.10.77 का है जिसका प्रार्थीगण अपीलालन्ट को दिनांक 20.01.2023 को पटवारी हल्का से उक्त नामान्तरण की नकल लेने पर पता चला इससे पहले उक्त नामान्तरण का पता नहीं था क्योंकि भूमि में सभी पक्षकार मुताबिक हक हिस्सा काश्त करते है। रामजीलाल के नाम की भूमि का कब्जा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के पास ही है इसलिए अज्ञानतावश भूमि अकेले हरदेवाराम के नाम हो गई जिसका पता नहीं था तथा ना ही राजस्व रिकार्ड का ज्ञान था इसलिए उक्त अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश करके निवेदन है कि रोही मौजा ढ़ाणी स्वामीयान व गंगासिंहपुरा के नामान्तरण संख्या 7 व 19 दिनांक 11.10.77 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार भादरा को रिमाण्ड किया जाकर आदेश पारित करे कि वारिसनामा की जांच पड़ताल करके नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करे।

19.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री रविन्द्र गोदरा एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की श्री भरतसिंह बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–4 तलबी रजिस्ट्रर्ड डाक ए.डी से होकर प्राप्त। रेस्पोडेन्ट संख्या–5 ता 15 की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या–16 की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस से करवाई गई एंव अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से मूल नामान्तरण पत्रावली तलब की गई। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट ने अपनी बहस में कथन किया कि ढाणी स्वामीयान के खसरा नं0 31 की 2.7320 तथा रोही मौजा गंगासिंहपुरा बरानी के मु0नं0 75 किला नं0 17, 18 21 ता 24 की 1.5180है0 व मु0नं0 93 के किला नं0 15 की 0.253 है0 मु0नं0 94 के किला नं0 10–11की 0.506 कुल 2.2770है0 भूमि रामजीलाल पुत्र बीरबल की खातेदारी थी। रामजीलाल लावल्द फौत हो गया। रामजीलाल के 4 भाई – जुगलाल, किशन, सुरजाराम, दाताराम है। भाई और मां प्रथम श्रेणी के वारिसान है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 हरदेवाराम सरपंच से वारिसान रामजीलाल के पुत्र बनकर अपने नाम करवा ली। हरदेवाराम जुगलाल का पुत्र था(मतदाता सूची आदमपुर विधानसभा क्षेत्र संलग्न है) जिसमें पुत्र जुगलाल दर्ज है(भाग संख्या–3 क्रम संख्या–3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगीवाला का अध्ययन के समय की टी.सी. में भी रेस्पोडेन्ट संख्या–1 के पिता का नाम जुगलाल है। साक्ष्य में वर्ष 1971 की भादरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची संलग्न है। गलत वारिसनामें के आधार पर दर्ज करवा ली है। हिंदु उत्तराधिकार के तहत हम प्रथम श्रेणी के वारिस है। उक्त नामान्तरण खारिज कर पुनः तहसीलदार को भेजा जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 12.09.1977 का नामान्तरण है। लगभग 45 वर्ष बाद न्यायालय में चुनौती दी गई है। म्याद के बिंदु पर काबिले खारिज है। इस हेतू दृष्टांत प्रस्तुत किया– [2019 RBJ 20] State of Rajasthan through Tehsildar Colonization Kolayat no. 1Distt. Bikaner. **Versus** Suraj Narain s/o Narsinghdar Cast Swami r/o Bikaner Tehsil and Distt. Bikaner.

हरदेवाराम खोलायत पुत्र (गोद पुत्र) इनकी भूमि का जो विरासतन नामान्तरण जरिये सहमति से हुआ जो इतने वर्ष पूर्व हुआ। नामान्तरण पर सहमति के हस्ताक्षर है। अपील में सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपील खारिज योग्य है। बीरबलराम के सभी वारिसों के पक्षकार बनाया गया था। सिविल कोर्ट भादरा में भी दावा चला। और वहां राजीनामाा हुआ। उसी राजीनामें के आधार पर सभी पाबंद थे कि यह भूमि इसी प्रकार दर्ज रहेगी, जो रिकार्ड पर है। अपील राजीनामा को निरस्त किये बिना हुई है। अतः अपील काबिले खारिज है। सहमति सभी की है। जुगलाल की संपति में हरदेवाराम ने हिस्सा नहीं लिया। आपसी रंजिश से ही अपील पेश की है, जो स्वच्छ मानसिकता से

जिला कलेक्टर नोहर

19.10.2023

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

नहीं आया है। म्याद अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होनें प्रत्येक वक्त का हिसाब देना है। अतः अपील खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरण खोलेनामे के आधार पर हुआ है। सरपंच क्या किसी को खोलायत पुत्र साबित कर सकता है। यह नामान्तरण इसी आधार पर हुआ है। सरपंच वारिस प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। ऐसा विवादित नामान्तरण न्यायालय ही तय कर सकता है। वारिसान तय करना सिविल न्यायालय का कार्य है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये–

RRD 95 Page no. 567 नामान्तरण विवादास्पद है तो तहसीलदार नोटिस देकर नामान्तरण तस्दीक करें।

RRD 93 Page no. 24- नामान्तरण देखनें से ही जाहिर होता है कि मैंने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। प्राकृतिक न्याय नहीं है।

RRD 97 Page no. 184 – नामान्तरण का ज्ञान होनें से ही म्याद लागु होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि सरपंच स्वशासित संस्था है जो वारिसो को तस्दीक करता है। पक्षकार एक ही परिवार के भाई है तो ज्ञान न होनें का बिंदु स्पष्ट नहीं होता है। 45 वर्ष पूर्व का दस्तावेज है जबकि वारिसों का Verification आज भी सरपंच ही करता है। राजीनामें के आधार पर अपील काबिले खारिज है। समझौता होनें पर उस समझौते का चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः अपील काबिले खारिज है।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः अपनी बहस में कथन किया कि राजीनाम सिविल कोर्ट में प्रशनगत है। सरपंच क्या किसी को खोलायत पुत्र साबित कर सकता है। गोदनामा रजिस्ट्रर्ड होता है। बातचीत के आधार पर गोदनामा नहीं होता है अपील को रिमांड किया जावे। निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. RRD 1998 Page No. 43 to 45
2. RRD 2001 Page No. 62 to 63
3. RRT 2021(2) Page No. 1093 to 1096
4. RBJ 2002 Page No. 347 to 350
5. RBJ 1999 Page No. 158 to 161
6. RRT 2018-2019supp. Page No. 123 to 124
7. RBJ 1998 Page No. 626 to 630
8. RRD 1998 Page No. 487 to 488
9. RRD 1997 Page No. 184 to 188
10. RRD 1997 Page No. 301 to 303

हमनें दोनो पक्षों की बहस सुनी और पत्रावली गहन अवलोकन व मनन किया। प्रशनगत नामान्तरण को भरने हेतु सरपंच से ली गई रिपोर्ट को देखनें से ज्ञात होता है कि

19.10.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रामजीलाल का फौतदगी नामान्तरण भरने हेतू रामजीलाल के शेष चारों भाईयों जुगलाल, किशनलाल, सुरजाराम और दाताराम द्वारा राजीखुशी सहमति दी गई थी, जिसको सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया था। इसी आधार पर नामान्तरण भरा गया था। सरपंच द्वारा यहां वारिस प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है, केवल शेष भाईयों की सहमति ही दर्ज कर नामान्तरण हेतू प्रेषित की है। ऐसे में नामान्तरण भरे जाने हेतू कोई संशय होने का अंदेशा नहीं था। जहां तक रजिस्ट्रर्ड गोदनामें का प्रश्न है, आज से 46 वर्ष पूर्व सन् 1977 के वर्षों में ग्रामीण जन सामान्य से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हे इतनी विधिक जानकारी होगी कि गोदनामें हेतू रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही करे। ऐसे में पारिवारिक सहमति मान्य हो जाती थी। पूर्व में सिविल न्यायालय में भी प्रकरण चला था जिसमें आपसी सहमति से प्रकरण खारिज हो गया था। इस तरह पक्षकार समझौते से स्वंय ही काबिज है तो अपील संभव नहीं है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अपीलांट एंव शेष रेस्पोडेन्ट को समस्त तथ्यों की जानकारी पूर्व से थी। वर्ष 1997 से राजस्व वाद भी विरचित हुआ था। जानकारी का तथ्य जो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वह किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है। अपील 45 वर्ष वाद प्रस्तुत की है। परिवार के सदस्यों और उनके वारिसानों को इस तथ्य की जानकारी बहुत पहले से है। इस स्थिति मे म्याद का बिंदु अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अपीलांट इस अपील को म्याद के बिंदु पर मजबूती से स्थापित नहीं कर पाए है और जानकारी के बिंदु पर भी सही तथ्य पेश नहीं किए है। वर्तमान जमाबंदी देखनें से भी ज्ञात होता है कि परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा विभिन्न बैंको से भूमि रहन दर्ज है। रहन करनें हेतू जमाबंदी की आवश्यकता होती है और जमाबंदी देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बहुत सदस्यों को हिस्सेदारी का ज्ञान था। म्याद के बिंदु पर अपीलांट अपील स्थापित रहने में पूर्णतया नाकाम रही है और अपीलांट की स्वच्छ मानसिकता साबित नहीं होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जुगलाल के हिस्से से भूमि लिया जाना भी जाहिर नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत सही चस्पा होतें है। इन समस्त तथ्यों के अध्ययन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अपीलांट म्याद व मैरिट दोनों ही बिंदुओं पर अपील को सिद्ध नहीं कर पाए है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा नामान्तरण निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 19.10.2023 को सरेइजलास सुनाया गया।

19.10.2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)